भारत सरकार

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.982

उत्तर देने की तारीख 08 फरवरी, 2023

सेवा गुणवत्ता संबंधी मामले

982. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कॉल ड्रॉप की बढ़ती घटनाओं और सेवा की गुणवत्ता संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रचालकों से मुलाकात की थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे;

(ख) क्या अवैध बूस्टरों के हस्तक्षेप और राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) की चुनौतियों का मुद्दा भी सुलझा लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या सरकार सेवा गुणवत्ता संबंधी मामलों पर दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपना रहा है और कंपनियों से समस्या वाले क्षेत्रों की पहचान करने और नीतिगत हस्तक्षेपों का सुझाव देने के लिए कहा है जिससे कॉल कनेक्टिविटी में सुधार हो सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

संचार राज्य मंत्री

(श्री देवुसिंह चौहान)

(क) से (ग) सरकार ने हाल ही में सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के साथ मुलाकात की थी। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को देश में दूरसंचार अवसंरचना के विकास के लिए दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा की गई कई नीतिगत पहलों के बारे में सूचित किया गया। इनमें स्पेक्ट्रम का कारोबार करने/साझा करने/उदारीकरण करने की अनुमति देना, निष्क्रिय और सक्रिय अवसंरचना को साझा करने की अनुमति देना, मार्गाधिकार नियम 2016 और इसमें किए गए संशोधनों की अधिसूचना जारी करना, टावरों की स्थापना के लिए सरकारी भूमि/भवन उपलब्ध कराना आदि शामिल हैं। टीएसपी को दूरसंचार क्षेत्र में सेवा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए सभी प्रयास करने का निदेश दिया गया है।

सरकार टीएसपी से प्राप्त शिकायतों के आधार पर अनाधिकृत/अवैध बूस्टरों के कारण होने वाले अंतरावरोधन को दूर करने के लिए समय-समय पर निगरानी कार्य करती है।

दूरसंचार विभाग भारतीय तार मार्गाधिकार नियम (आईटी आरओडब्ल्यू), 2016 और इसमें किए गए संशोधनों को अपनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) / केंद्रीय मंत्रालयों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है।

इसके अलावा केंद्रीकृत आरओडब्ल्यू पोर्टल, गति शक्ति संचार शुरू होने से शीर्ष स्तर की निगरानी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन, कार्रवाई, अनापत्ति और डैशबोर्ड सुकर हुआ है। गतिशक्ति संचार पोर्टल ने सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सिंगल इंटरफेस के माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) और मोबाइल टावरों दोनों के लिए मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) आवेदनों को स्वीकार करने, इस पर कार्रवाई करने और इसे अनुमोदित करने के लिए शामिल/एकीकृत किया है। यह पोर्टल टीएसपी/अवसंरचना प्रदाता (आईपी) जैसे आवेदकों को एक समान/एकल पोर्टल पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, स्थानीय निकायों और मंत्रालयों की विभिन्न अभिकरणों को मार्गाधिकार अनुमोदन के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाता है।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने "बेसिक टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) और सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा विनियम, 2009 के लिए सेवा गुणवत्ता मानक" निर्धारित किए हैं। इन विनियमों में समय-समय पर संशोधन किया गया है। ट्राई दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता के लिए मौजूदा बेंचमार्क मापदंडों की समीक्षा करता है और आवश्यकता पड़ने पर नई प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं के लिए प्रासंगिक बेंचमार्क भी जारी करता है।

*****